



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक : 16.09.2026

थाना जमालपुर पुलिस द्वारा ₹ 25 हजार के इनामियां सहित 02 शातिर वाहन चोर, चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा वाहनों की चोरी एवं बिक्री की घटनाओं में संलग्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी/वाहनों की बरामदगी सहित प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 16.09.2026 को थाना जमालपुर पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सघन वाहन चेकिंग कर इण्डेन गैस एजेंसी बहद ग्राम डबक के पास से दो चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ ₹ 25000 के इनामियां सहित 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. बृजेश चौहान पुत्र स्व0 रामअवध चौहान निवासी ग्राम ईसरगोडवा थाना इलिया जनपद चंदौली व 2. आजाद चौहान पुत्र बाबूलाल चौहान निवासी ग्राम अइलार थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशानदेही पर ग्राम मैनुद्धीनपुर से छिपाकर रखी हुई दो अन्य मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया, इस प्रकार कुल 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें तथा अभियुक्त बृजेश चौहान उपरोक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर डबल बैरल मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शादी समारोह/बारातों में से अवसर देखकर तथा सड़क के किनारें खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। चोरी की मोटरसाइकिलों को बिहार में ले जाकर बेचते हैं तथा प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-167/2026 धारा 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

बरामद शुदा मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि बरामद चोरी की 03 मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा क्रमशः 1. मु0अ0सं0 283/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चंदौली, 2. कांड संख्या 202/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ (बिहार) व 3. मु0अ0सं0 307/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चंदौली पर पंजीकृत कराया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. बृजेश चौहान पुत्र स्व0 रामअवध चौहान निवासी ग्राम ईसरगोडवा थाना इलिया जनपद चंदौली, उम्र करीब 42 वर्ष*(₹ 25000 का इनामियां)*
2. आजाद चौहान पुत्र बाबूलाल चौहान निवासी ग्राम अइलार थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ (बिहार), उम्र करीब-20 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिलें।

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर डबल बैरल व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-167/2026 धारा 317(2),317(4),317(5) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।

आपराधिक इतिहास —

(₹ 25 हजार का इनामियाँ अभि0बृजेश चौहान उपरोक्त-)

1.मु0अ0सं0-77/2026 धारा 303(2),317(2),318(4) बीएनएस थाना जमालपुर , मीरजापुर ।

2.मु0अ0सं0-97/2026 धारा 317(2),317(4),317(5),319(2),318(4) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना जमालपुर, मीरजापुर ।

3.मु0अ0सं0-184/2021 धारा 379,411भादवि थाना अदलहाट, मीरजापुर ।

4.मु0अ0सं0-322/2017 धारा 41,411,414,419,420,467,468,471 भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

5.मु0अ0सं0-323/2017 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

6.मु0अ0सं0-578/2017 धारा 379,411 भादवि थाना मंडुवाडीह, वाराणसी ।

7.मु0अ0सं0-329/2022 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

8.मु0अ0सं0-337/2022 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

इण्डेन गैस एजेंसी गोदाम बहद ग्राम डबक के पास से, आज दिनांक 16.09.2026 समय 00:03 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उपनिरीक्षक अमरनाथ यादव व उपनिरीक्षक ओम प्रकाश सिंह चौ0प्र0डबक थाना जमालपुर, मीरजापुर ।

मुख्य आरक्षी विजेन्द्र यादव, दिग्विजय सिंह, अजीत राय, आशुतोष यादव, थाना जमालपुर, मीरजापुर ।

आरक्षी अजीत पासवान, रिक्रूट आरक्षी निखिलेश कुमार, राघवेन्द्र यादव व विरेन्द्र कुमार, थाना जमालपुर, मीरजापुर ।

